1

पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। सं. 1 ता 3 की ओर से जवाब पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते बहस आगामी तारीख 15/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

15/10/24 — पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आगामी तारीख 21/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

21/10/24 — पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उप. प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय की सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश, आगामी तारीख पेशी दिनांक 23/10/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

23/10/24 — पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अवकाश उप. पत्रावली वास्ते तारीख पेशी दिनांक आगामी 28/10/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

28/10/24 — पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उप. पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

29/10/24 — पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे अंकितानुसार ख.न. 848/7 रकबा 0.8220 है वाके ग्राम ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है जिसपर मोके पर प्रार्थीगण काबिज है। उक्त भूमि ग्राम नयागांव से निवाई जाने वाले डामर रोड ख.न. 858 मे स्थित है। डामर रोड प्रार्थी की भूमि के दक्षिण ओर स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तरी ओर विपक्षीगण की भूमि ख.न. 848/4 स्थित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इशारा

पर विपक्षीगण की भूमि ख.न. 848/4 का अंकन कर दिया और आवेदकगण की भूमि को मुख्य सडक से दूर ख.न. 848/4 के स्थान पर अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। इसलिए वर्तमान ऑनलाईन नक्शा शीट को दुरूस्त किया जावे और प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 848/7 को ख.न. 858 मे स्थित रोड के लगवा अंकित किया जावे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी ,नक्शाट्रेस, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र के जवाब मे प्रतिपक्षीगण ने अंकित किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 848/7, विपक्षीगण की भूमि से उत्तरी ओर स्थित है तथा रोड के लगवा विपक्षीगण की भूमि ख.न. 848/4 स्थित है लेकिन प्रार्थीगण जबरन अवैध रूप से विपक्षीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। विपक्षीगण की भूमि संवत 2011 से ही लगातार रोड के लगवा सैटलमेन्ट के समय से ही स्थित है। किन्तु आवेदकगण ने विपक्षीगण की भूमि की जगह डीआर एल एम के तहत गलत रूप से पटवारी से मिलीभगत करके अशुद्ध अंकित करवाली जिसे तहसीलदारि नवाई ने आदेश जारी कर पूर्व की भांती तरमीम करके दुरूस्त किया गया। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। तरमीम मे त्रुटि संबंधी तथ्यो साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध मोमिया नक्शाट्रेस मे दोनो विवादित खसरा नंबर समान्तर दर्शाये गये है। तहसीलदार निवाई के आदेश सं0 5392 दिनांक 17.5.2024 के अनुसार सुपुर्दगीनामा के अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश दिये गये है लेकिन सुपुर्दगीनामा एवं शुद्धि उपरान्त तरमीम सम. ानता नही है जो संशय उत्पन्न करती है। तरमीम की सत्यता व वास्तविकता का निर्णय मोमिया शीट, कब्जे एवं मौका रिपोर्ट एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो के गहन परीक्षण से की जावेगी। लेकिन इस दौरान यदि उक्त तथा कथित गलत तरमीम का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण व द्वारा यदि वादग्रस्त भूमि का बेचान या अन्य किसी भी प्रकार से अंतरण कर दिया गया तो क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना है। अतः प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दुप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः वाद निर्णय तक विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड और मौके की स्थिति यथावत बनाये रखना यह न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ख.न. 848/7 एवं ख.न. 848/4 वाके ग्राम ललवाडी, तहसील निवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)